

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(स.भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

~~महोदय~~ खैरवाड़ा

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम

बाथडी

की

जमाबन्दी संवत्

2075-78

खाता संख्या

224

में

मेरा नाम लाला पिंग

भीमा दल है जबकि मेरे पत्न संबंधी अन्य समस्त दस्तावेज मे
नाम लालशंकर पुत्र भीमा दल ही अतः मेरा नाम संशोधन
किया जाए।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

M. R. R.

प्रार्थी

दिनांक :- 3/12/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान खैरवाड़ा

—:आदेश:—

खैरवाड़ा प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थनापत्र एवं पटवारी खैरवाड़ा व भू.अ.नि.
की रिपोर्ट तथा खैरवाड़ा तहसीलदार खैरवाड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खैरवाड़ा तहसील खैरवाड़ा जिला
खैरवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 224 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>खैरवाड़ा</u>	<u>224</u>	<u>लाला पुत्र श्रीमा डिंगी</u>	<u>लाला डंडर पुत्र श्रीमा डिंगी</u>

खैरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

क्रमांक :- 2021/691

दिनांक :- 03/12/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, खैरवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लाला डंडर पुत्र श्रीमा डिंगी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

खैरवाड़ा
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदयजी, निवेदन है कि राजस्व ग्राम वाघडी की जमावन्दी संवत् 2025-78 के स. 224 में खातेदार का नाम लाला पुत्र भीमा दर्ज है। जबकि इनके अन्य समस्त पहचान संबंधी दस्तावेजों में नाम लालशंकर पुत्र भीमा दर्ज है। अतः उक्त खाते में इनका नाम संशोधन कर लाला पुत्र भीमा के बजाय लालशंकर पुत्र भीमा किया जाना उचित है।

[Signature]
12/12/21
T.R. बडल

[Signature]
4.11.21
उदयपुर (जिला)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुलाखिड पटवारी व भू.अ. नि. की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम वाघडी की जमावन्दी संवत् 2025-78 में खातेदार का नाम लाला ~~शंकर~~ पुत्र भीमा के बजाय ~~लाला~~ पुत्र लालशंकर पुत्र भीमा करने की अभिशंका की जाती है।

[Signature]
13-12-21
तहसीलदार-खैरवाड़ा
जिला-उदयपुर

आदेश

तहसीलदार खैरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम वाघडी के खाता स. 224 में खातेदार का नाम लाला पुत्र भीमा के बजाय लालशंकर पुत्र भीमा करने की स्वीकृति दी जाती है।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी